कार्यालय नगर पंचायत औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर

पत्रांक 900(1)/न0प0औ0/2020–21 दिनांक 25/06/2020

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पंचायत औरंगाबाद द्वारा समस्त ठेकेदारों/फर्मो/सप्लायरों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में अस्थायी गौवश आश्रय स्थल में संरक्षित गौवंश के भरण पोषण हेतु प्राप्त धनराशि से भूसा की आपूर्ति के लिये दरें प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.07.2020 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 09.07.2020 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक नगर पंचायत औरंगाबाद कार्यालय से कार्य के सम्मुख अंकित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 10.07.2020 को सांय 4.00 बजे अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी महोदय नगर पंचायत औरंगाबाद के समक्ष खोली जायेगी। सबसे न्यूनतम दर की निविदा को स्वीकृति प्रदान की जायेगी। निविदा जिले की वेबसाइट www.bulandshahr.nic.in पर उपलब्ध है।

क्रम सं0	कार्य का नाम	योजना का नाम	मात्रा/दरें	निविदा शुल्क	जमानत राशि	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	गौवंश भरण पोषण हेतु भूसा की आपूर्ति	अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल भरण–पोषण योजना	दरें प्रति कुन्टल	300/–	5000/–	15 दिन

शर्तेः–

1. सशर्त व अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा के साथ जमानत राशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/नकद के रूप में जमा करनी होगी जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत औरंगाबाद के पदनाम से बंधक होगी। जमानत राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
4. समस्त निविदा दाताओं को निविदा के साथ पैनकार्ड की छायाप्रति, जी0एस0टी0 नम्बर की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत औरंगाबाद
बुलन्दशहर

अध्यक्ष
नगर पंचायत औरंगाबाद
बुलन्दशहर

प्रतिलिपिः–

1. एन0आई0सी0 बुलन्दशहर की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ हेतु सादर प्रेषित।
2. सम्पादक दैनिक बुलन्द संदेश समाचार पत्र को इस आशय से कि वह अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में उक्त निविदा सूचना को न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर सम्बन्धित पत्र की दो प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
3. सम्पादक पंजाब केसरी समाचार पत्र को इस आशय से कि वह अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में उक्त निविदा सूचना को न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर सम्बन्धित पत्र की दो प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
4. कार्यालय नगर पचांयत औरंगाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत औरंगाबाद
बुलन्दशहर

Scanned with CamScanner